



# नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला भू-अर्जन शाखा)



## आदेश

परियोजना राज्य उच्च पथ-78 (चंडी-सरमेरा) के लिए उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःबन्दोबस्ती में पारदर्शिता अधिनियम-2013 के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए चन्द्रगुप्त, प्रबंध संस्थान को दिया गया था। सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का मूल्यांकन धारा-5 के नियम-11 के तहत लोक सुनवाई हेतु निम्न प्रकार तिथि निर्धारित किया जाता है:-

तिथि	समय	स्थान	संबंधित राजस्व ग्राम
05.4.2016	11.00 पूर्वा०	पंचायत भवन रहुई	रहुई, हवनपुरा, मंडारी एवं भिण्डा
05.4.2016	3.00 अप०	पंचायत भवन सोसंदी	सोसंदी

यह सूचना पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला के सूचना पट पर प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आई०टी०, प्रबंधक, नालन्दा जिला के वेबसाइट पर भी प्रकाशित करें।

ह०/

समाहर्ता,  
नालन्दा।

ज्ञापांक .....458/भू०अ०, बिहारशरीफ दिनांक .....04/04/2016

प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक (तक०), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


✓ प्रतिलिपि:- आई०टी०, प्रबंधक, नालन्दा को नालन्दा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, रहुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित पंचायत सचिव को उक्त तिथि को उपस्थित रहने एवं चयनित स्थल बैठक के लिए उपलब्ध कराने का निर्देशित करेंगे।

प्रतिलिपि:- चन्द्रगुप्त, प्रबंध संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ -सह- अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
नालन्दा।